प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.05.2026

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में शातिर वाहन चोर व मौके से उसके 02 साथी गिरफ्तार। कब्जे से 09 मोटरसाइकिल, 01 मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी/ पुलिस मुठभेड़ का विवरण-दिनांक 14.05.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में वाहन चोरी व अन्य चोरियों की रोकथाम हेतु संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रोटरी गोल चक्कर के पास 02 मोटरसाइकिलों पर सवार 03 व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में निकले हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अतिरिक्त बल बुलाकर घेराबंदी की गई। चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। परन्तु उक्त व्यक्तियों द्वारा वाहन न रोककर भागने का प्रयास किया गया। पीछा करने पर एक अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार एक अपराधी के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने आवश्यक बल प्रयोग कर तीनों अभियुक्तों को मौके से पकड़ लिया। घायल अपराधी की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई, जिसे तत्काल उपचार हेतु एमएमजी अस्पताल दाखिल कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों मिलकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं करते हैं। हमने हिन्डन विहार के एक खाली मैदान में दीवार और झाड़ियों की आड़ में चोरी की कई मोटरसाइकिलें छिपा कर रखी थीं, जिन्हें हम बेचने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। अभियुक्तों ने बताया कि हम चोरी की मोटरसाइकिलों को एक-एक कर बेचते हैं और यदि वे नहीं बिकती हैं, तो उन्हें काटकर कबाड़ में बेच देते हैं। आज भी हम चोरी करने की फिराक में निकले थे कि पुलिस द्वारा पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. **अनिल कुमार** पुत्र चरन सिंह, निवासी ग्राम अटोर नगला, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद (हाल निवासी: म.नं. 199, गोविन्दपुरम, थाना मधुबन बापूधाम), उम्र करीब 25 वर्ष। **(मुठभेड़ में घायल)**
2. **मोहित उर्फ रोहित उर्फ तीतर उर्फ तन्नी** पुत्र दिनेश शर्मा, निवासी गली नं. 10, कृष्णा नगर, सिहानी, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।
3. **सत्य प्रकाश उर्फ सत्या** पुत्र राममूर्ति लाल, निवासी मंगल बाजार रोड, गली नं. 3, कृष्णा नगर, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद, उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 09 मोटरसाइकिल (चोरी की)।
- 01 मोटरसाइकिल के कटे हुए कलपुर्जे।

- 01 तमंचा 315 बोर।
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. **अभियुक्त मोहित उर्फ तीतर:** इसके विरुद्ध गाजियाबाद में चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कुल **19 अभियोग** पंजीकृत हैं।
2. **अभियुक्त अनिल कुमार:** इसके विरुद्ध गाजियाबाद में चोरी व आबकारी अधिनियम से संबंधित कुल **07 अभियोग** पंजीकृत हैं।
3. **अभियुक्त सत्य प्रकाश:** इसके विरुद्ध गाजियाबाद में चोरी, गैंगस्टर व आबकारी एक्ट से संबंधित कुल **05 अभियोग** पंजीकृत हैं।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन बरामद ।

आज दिनांक 14.05.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 03 अभियुक्तगण 1. मन्नान अंसारी पुत्र नसीम अहमद निवासी बिशोखर मस्जिद के पास गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. अरमान पुत्र तय्यूब निवासी बिशोखर मस्जिद के पास गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 3. नवाज शरीफ पुत्र मोमीन निवासी बिशोखर मस्जिद के पास गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन व 01 आई-20 कार बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अवैध पिस्टल हमने फैसल पुत्र परवेज निवासी बिशोखर गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद से लोगों में अपना रौब जमाने के लिए ली थी । मौके से बरामद कार के सम्बन्ध में अभियुक्त नवाज शरीफ उपरोक्त ने बताया कि यह कार मेरी है । आज हम इस अवैध पिस्टल के साथ कार से बाहर निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. मन्नान अंसारी पुत्र नसीम अहमद निवासी बिशोखर मस्जिद के पास गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष ।

2. अरमान पुत्र तय्यूब निवासी बिशोखर मस्जिद के पास गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

3. नवाज शरीफ पुत्र मोमीन निवासी बिशोखर मस्जिद के पास गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का विवरण –

फैसल पुत्र परवेज निवासी बिशोखर गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन व मौके से बरामद आई-20 गाडी सीज।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व अभियुक्त मन्नान अंसारी पर पूर्व में भी थाना मोदीनगर में मारपीट व धमकी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त व 01 शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार , कब्जे से 01 मंगल सूत्र ,01 जोड़ी कानो की बाली (कुडंल) पीली धातु के, 800 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 10.5.2026 को वादिया श्रीमती रीता यादव द्वारा थाना लिंकरोड़ पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 07.05.2026 को एक अनजान व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आया उसने मुझे बशिभुत कर पानी मागने लगा जैसे ही मैं पानी ले कर आयी वशीकरण करके मेरे कान और गले में पहने गहने व पैर में पहनने वाली पायल उतार कर दे दी और घर में रखा मेरा पर्स जिसमे मेरा ATM ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड व कुछ नगद रूपये भी थे उनको दे दिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर धारा 318(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 14.05.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त 1.इकरार हुसैन उर्फ विनोद पुत्र इसरार हुसैन निवासी हाउस नं0 103 गली नं0 5 रोशन नगर थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 46 वर्ष व 2.अभियुक्ता रीता आर्या पुत्री दुर्गा राम निवासी हाउस नं0 103 गली नं0 5 रोशन नगर थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष रामलीला पार्क के कोने के पास से 01 मंगल सूत्र ,01 जोड़ी कानो की बाली (कुडंल) पीली धातु के,800 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त इकरार हुसैन उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मुल रूप से किदवई नगर कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरी पहली पत्नी का नाम शहनाज है तथा दूसरी पत्नी का नाम रेनू है जो कि लेडीज कपडे सिलती है। जिनको मैं और मेरी साली रीता आर्य के साथ बेचने आता हूँ। कपडे बेचते समय मैं और मेरी साली रीता आर्य रेकी कर देखते है कि कौई औरत अकेली रहती है कौन परिवार के साथ तथा भोली भाली औरतो को अपना टारगेट बनाते है। अकेली महिला पाकर हम कपडे बेचने के बाहने उनके घर जाते है तथा बातो में फंसाकर सोने चांदी के आभूषण उतरवाकर लेकर फरार हो जाते है। उक्त सामान को हम चलते फिरते लोगो को बेच देते है। दिनांक 07.05.2026 को इसी तरह से हमने बृज विहार में एक महिला को अपनी बातो में फंसाकर घटना कारित की गयी थी। उसमें से हमें जो पायल मिली थी उसे हमने चलते फिरते किसी व्यक्ति को बेच दिया व उससे

मिले पैसो को खर्च कर दिया जो 800 रु मिले है यह उसी में से बचे हुए है ।इस तरह की घटना हम पहले हरियाणा में भी कर चुके है, परन्तु पकडे पहली बार ही गये है । साहब गलती हो गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. इकरार हुसैन उर्फ विनोद पुत्र इसरार हुसैन निवासी हाउस नं0 103 गली नं0 5 रोशन नगर थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 46 वर्ष ।
2. रीता आर्या पुत्री दुर्गा राम निवासी हाउस नं0 103 गली नं0 5 रोशन नगर थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

01 मंगल सूत्र ,01 जोड़ी कानो की बाली (कुडंल) पीली धातु के, 800 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ में उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार व कब्जे से चोरी का 01 ऑटो बरामद ।

घटना का विवरण—

दिनांक 13.05.2026 को आवेदक श्री अली मौहम्मद पुत्र कमालुदीन निवासी सेक्टर-12 रोजी कलोनी डबल टंकी के पास थाना विजयनगर गाजियाबाद के द्वारा एक प्रार्थना जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा आवेदक ऑटो रजिस्ट्रेशन नम्बर -UP14 MT 1802 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण –

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये टीमें गठित की गयी आज दिनांक 14.05.2026 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त आसिफ उर्फ सोनू पुत्र आकिल निवासी पाल डेयरी वाली गली रोजी कालोनी प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद को संतोष मेडिकल सर्विस रोड़ विजयनगर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

1. आसिफ उर्फ सोनू पुत्र आकिल निवासी पाल डेयरी वाली गली रोजी कालोनी प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 ऑटो रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14MT1802 चोरी की ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं एनसीआर क्षेत्र से ई रिक्शा , ऑटो की चोरी करता हूँ। दिनांक 12.04.2026 की रात्रि में मैने रोजी कालोनी प्रतापविहार से एक ऑटो चोरी किया था। जिसे में छिपाने की फिराक में घूम रहा था। कि पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः –

अभियुक्त आसिफ उर्फ सोनू उपरोक्त पर - 03 अभियोग चोरी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 14.05.2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चल रहे अभियुक्त अश्वनी पुत्र शेखर निवासी ग्राम गनौली लोनी देहात थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता म0नं0 1383 ब्लाक नं0 83 काशीराम कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद को लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर काशीराम आवास कालोनी विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता –

अश्वनी पुत्र शेखर निवासी ग्राम गनौली लोनी देहात थाना लोनी गाजियाबाद हाल पता म0न0 1383 ब्लाक नं0 83 काशीराम कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि सर मैं कुछ लोगो के चक्कर में आकर गलत संगत में पड़ गया था। हम लोग मिलकर एनसीआर क्षेत्रों में चोरी , स्नैचिंग की घटना कारित करते थे और चोरी व स्नैचिंग के सामान को बेचकर जो पैसा मिलता था। उसे आपस में बाँट लेते थे।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः –

अभियुक्त अश्वनी उपरोक्त पर - 03 अभियोग चोरी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।